न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी–देवेन्द्र कुमार
आई0ए0एस0

नामा0 अपील सं0 06/2022

रामधन पुत्र शिवबक्स जाति कोली निवासी ग्राम ढिगारिया तहसील लवाण जिला दौसा राज0
..अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लवाण जिला दौसा
2. तहसीलदार तहसील लवाण जिला दौसा
3. सुभाष पुत्र स्व. चिरंजीलाल जाति कोली निवासी रामगढ पचवारा हाल निवासी कोली मौहल्ला लवाण तहसील लवाण जिला दौसा
4. टीना नाबा.पुत्री स्व. चिरंजीलाल जरिये प्राकृतिक संरक्षक भाई सुभाष पुत्र चिरंजीलाल जाति कोली निवासी रामगढ पचवारा हाल निवासी कोली मौहल्ला लवाण तहसील लवाण जिला दौसा

..रेस्पो0

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरुद्ध नामान्तरण संख्या 924 दिनांक 302.9.2021 व निर्णय दिनांक 2.9.2021 न्यायालय तहसीलदार लवाण के आदेश पर दिनांक 7.12.2021 को स्वीकृत किया गया है।

उपस्थित–1. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा, अधिवक्ता अपीलांट।
2. श्री राजेश कुमार शर्मा राजकीय अधिवक्ता

निर्णय　　　　दिनांक: 13.2.2025

1. संक्षिप्त वृतांत अपील इस प्रकार है कि तहसीलदार, लवाण ने दिनांक 7.12.2021 को ग्राम बनियाना का नामान्तरण सं0 924 से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।
2. अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख मंगवाया गया। अधिवक्ता अपीलांट व राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई।
3. अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में दलील दी कि

- ग्राम बनियाना तहसील लवाण में भूमि खसरा नंबर 199, 207 कुल किता 2 रकबा 1.51है. स्थित है। उक्त भूमि में सहखातेदार धापा देवी पत्नि शिवबक्स महावर की विरासत का नामान्तरकरण खुलवाने हेतु अपीलांट रामधन महावर पुत्र शिवबक्स महावर ने एक प्रार्थना पत्र पटवारी हल्का बनियाना को प्रस्तुत किया। पटवारी हल्का बनियाना ने मृतक का निवास स्थान ढिगारिया होने के कारण जांच ढिगारिया पटवारी से करवाये जाने पर अपीलांट रामधन द्वारा पेश प्रार्थना पत्र में वारिसान की भिन्न स्थिति पाये जाने पर प्रकरण राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु एक्ट 1956 की अन्तर्गत धारा 135 (2) में प्रकरण दर्ज कर सुनवाई गई। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर साक्ष्य एवम सबूतो हेतु पक्षकारान की तलबी की गई। रिपोर्ट पटवारी ढिगारिया के अनुसार मृतक के तीन पुत्रियां प्रेम, सन्ति एवं कमला उर्फ कमली थी जिनकी मृत्यु हो चुकी है। प्रेम कुवांरी फौत हो गयी। सन्ति एवं कमली उर्फ कमला विवाहित हुई है जिनके वारिसान की जांच पटवार स्तर पर नही होने से सन्ति के वारिसान हेतु तहसीलदार राहुवास से व कमली उर्फ कमला के वारिसान की जांच तहसीलदार रामगढ पचवारा को लिखा गया। तहसीलदार राहूवास के पत्र क्रमांक भू.अ./2021/1057 दिनांक 08–2021 के अनुसार सन्ति नाऔलाद फौत हो चुकी है एवं पचवारा के तहसीलदार रामगढ पत्र क्रमांक भू.अ./21/1075 दिनांक 22–7–2021 के अनुसार मृतक कमली उर्फ कमला के पुत्र चिरंजीलाल व उसकी पत्नि की मृत्यु हो चुकी है तथा मृतक चिरंजीलाल के एक पुत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 10:54:41 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

जिला कलेक्टर, दौसा

सुभाष व एक नाबालिग पुत्री टीना होना बताया। बाद जांच तहसीलदार तहसील लवाण ने अपने निर्णय दिनांक 2–9–2021 में श्रीमती धापा देवी मृतक पत्नि स्व. शिवबक्स महावर का पारिवारिक शजरा अंकित करते हुए कमली उर्फ कमला के पौत्र सुभाष व पौत्री टीना के हक में नामान्तरकरण खोलने का आदेश पारित किया जिसकी पालना में नामान्तरकरण संख्या 924 दिनांक 30–9–2021 को खोला जाकर उसे दिनांक 07–12–21 को स्वीकृत कर दिया गया है जिसके विरूद्ध यह अपील पेश की जा रही है।

- योग्य अधिनस्थ न्यायालय का नामान्तरकरण संख्या 924 दिनांक 30–9–21 विधि, न्याय, नियम एवम प्रक्रिया के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है।
- अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष नामान्तरण खोलने से पूर्व रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 के दादा रामकिशोर महावर द्वारा यह बयान दिया गया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 की दादी कमली उर्फ कमला देवी स्वंय के फूफा रामप्रताप महावर निवासी लवाण तह० दौसा जिला दौसा ने कमली उर्फ कमला को बचपन में ही गोद ले लिया था इसलिए रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 की दादी के गोद चले जाने के कारण मृतक धापा देवी पत्नि शिवबक्श की सम्पत्ति में किसी भी प्रकार का कोई कानूनी अधिकार शेष नही रहा लेकिन उक्त बयान पर कोई गौर न कर अधिनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 के नाम केवल मात्र शजरे के आधार पर नामान्तरण खोलने में कानूनी गलती की है इसलिए अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार तहसील लवाण का नामान्तरकरण जो रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 के हक में खोला गया है वह निरस्तनीय है।
- रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 आज दिन भी रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 की दादी कमली उर्फ कमला के रामप्रताप महावर निवासी लवाण के गोद चले जाने एवम रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 के पिता चिरंजीलाल को रामप्रताप महावर निवासी लवाण द्वारा विधिक तरीके से गोद लेकर अपनी विरासत का उत्तराधिकारी बनाये जाने के कारण रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 रामप्रताप महावर के मकान निवास लवाण स्थान पर ही निवास कर रहे है इससे भी स्पष्ट होता कि रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 को रामप्रताप की विरासत का उत्तराधिकारी होने के कारण मृतक धापा देवी की सम्पत्ति में कोई हक अधिकार शेष नही रह जाते है ऐसी सूरत में भी उनके हक में खोला गया नामान्तरण निरस्तनीय है।
- कमली उर्फ कमला जो कि मृतक धापा देवी की पुत्री थी, उसे बचपन में ही उसके फूफा रामप्रताप महावर निवासी लवाण ने गोद ले लिया था एवम रामप्रताप महावर ने ही उसे पाल पोसकर बड़ा कर उसके शादी विवाह किये थे विवाह के उपरान्त कमला देवी के एक पुत्र चिरंजीलाल पैदा हुआ था तथा चिरंजीलाल के रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 सुभाष व टीना हुए। यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि स्वंय कमली उर्फ कमला देवी के रामप्रताप के गोद चले जाने के कारण रामप्रताप ने कमली उर्फ कमला देवी को अपनी दत्तकीय पुत्री माना और अपनी दत्तकीय पुत्री के पुत्र चिरंजीलाल को रामप्रताप महावर निवासी लवाण ने विधि विधान तरीके से गोद लेकर उसे अपनी विरासत का उत्तराधिकारी घोषित किया था, जिसका वसीयतनामा दिनांक 2–1–1999 को लिखा गया। इस प्रकार कमला देवी व उसका पुत्र चिरंजीलाल रामप्रताप की सम्पत्ति पर काबिज हुए इसलिए मृतक धापा देवी की सम्पत्ति में जब कमली उर्फ कमला देवी को ही गोद चले जाने के कारण कोई अधिकार प्राप्त नही हुए व उसके पुत्र चिरंजीलाल को रामप्रताप द्वारा विधि विधान तरीके से अपनी सम्पत्ति का वारिस मानकर वसीयतनामा [illegible] तहरीर तकमील किया गया तो चिरंजीलाल को भी धापा देवी की सम्पत्ति [illegible] सम्पत्ति के अलावा किसी भी प्रकार का कोई अधिकार [illegible] कमला देवी व चिरंजीलाल को ही धापा देवी की सम्पत्ति में कोई हक व अधिकार शेष नही रहा तो फिर रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 को धापा देवी की सम्पत्ति में किसी भी प्रकार का कोई हक व अधिकार प्राप्त नही होने के तथ्य को अधिनस्थ न्यायालय ने नजरअंदाज कर उक्त नामान्तरकरण खोले जाने में

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 10:54:41 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जिला कलेक्टर,दौसा

कानूनी गलती की है इसलिए उक्त नामान्तरकरण रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 की हद तक निरस्त किये जाने योग्य है।

- मृतक कमली उर्फ कमला जो कि बचपन में ही अपने फूफा रामप्रताप के यहां गोद चली गई थी तथा कमली उर्फ कमला के पति रामकिशोर महावर निवासी रामगढ पचवारा ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष यह बयान दिया कि कमला देवी का विवाह कमली देवी के फूफा रामप्रताप महावर ने किया था कमला देवी को रामप्रताप ने बचपन से गोद ले रखा था लेकिन उसका रजिस्टर्ड गोदनामा नही नही है। उक्त बयान अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध है लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त बयानो पर कोई और न कर केवल मात्र शजरे के आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 के नाम नामान्तरकरण खोलने में कानूनी गलती की है इसलिए उक्त नामान्तरण संख्या 924 रेस्पोटेन्ट संख्या 3 व 4 की हद तक निरस्त किये जाने योग्य है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

- अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त नामान्तरकरण खोलते समय कानूनी तथ्य की भी अनदेखी करते हुए सरासर विधि विरूद्ध तरीके से गैर कानूनी प्रक्रियाए अपनाते हुए रेस्पोटेन्ट संख्या 3 व 4 के हक में नागान्तरकरण खोला गया है जो कि विधि विरुद्ध होने के कारण निरस्तनीय है।
- योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित एवम खोला गया नामान्तरण माननीय राजस्व मण्डल, माननीय राज० उच्च न्यायालय व माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित सिद्वान्तो के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है।
- रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 के वादग्रस्त आराजी पर कोई कब्जा नही है किन्तु पटवारी हल्का द्वारा कब्जे की जांच किये बगैर ही अपनी रिपोर्ट पेश की है उक्त आराजी पर अपीलांट काबिज होकर काश्त कर लाभान्वित होता चला आ रहा है जिसे कभी भी उक्त प्रश्नगत नामान्तरण आदेश की कोई जानकारी नही हुई किन्तु अभी कुछ दिनो पूर्व रेस्पोडेन्ट्स संख्या 3 व 4 ने अपीलांट को ऐलानिया कहा कि उक्त आराजी रिकॉर्ड मे हमारे नाम है तथा हम अपने नाम के हो रहे खातेदारी अंकन के आधार पर भूमि को रहन बय हस्तान्तरण करेंगे जिस पर अपीलांट ने तहसील मे आकर राजस्व रिकॉर्ड का मालूम किया तो उक्त प्रश्नगत नामान्तरण रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 के हक में खोले जाने की जानकारी होने पर नकल प्राप्त की जाकर यह अपील प्रस्तुत की जा रही है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ तहसीलदार लवाण द्वारा खोला गया नामान्तरण सं० 924 दिनांक 30.9.2021 जो दिनांक 7.12.2021 को स्वीकृत किया गया है, उसे रेस्पों० सं० 3 व 4 की हद तक निरस्त करते हुए अधीनस्थ तहसीलदार लवाण का निर्णय दिनांक 2.9.2021 को निरस्त फरमाया जावे।

4. राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि तहसीलदार लवाण ने प्रश्नगत नामान्तरण राज० भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 135(2) में प्रकरण दर्ज किया जाकर विधिवत वारिसान की जांच की जाकर नामान्तरण खोला गया है। नामान्तरण खोले जाने से पूर्व पक्षकारान को साक्ष्य एवं सबूत पेश करने का अवसर दिया जाकर निर्णय पारित किया गया है। अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।
5. अप्रार्थी सं० 3 के बाद तामील उपस्थित नहीं होने से उनकगे विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।
6. तहसीलदार लवाण से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार नामान्तरण सं० 924 दिनांक 30.9.2021 मुताबिक निर्णय तहसीलदार लवाण दिनांक 2.9.2021 के [illegible] दर्ज किया गया है। उक्त निर्णय विधि, न्याय एवं नियम प्रकिया के तहत [illegible] कमली उर्फ कमला को बचपन में गोद जाना उनके पति [illegible] बयानों में [illegible] है परन्तु इस बाबत कोई गोदनामे से संबंधित दस्तावेज पेश नहीं किये गये हैं। जिस कारण से मृतक कमली के वारिनों का नाम विरासत के नामान्तरण में जोडा गया है। मृतक [illegible] पत्नि शिवबक्स के वारिसान की जांच पटवारी हल्का से कराये जाने पर पटवारी द्वारा मृतक कमला के तीन पुत्रियां प्रेम, सन्ती व कमली उर्फ कमला होना अवगत कराया जिसमें से प्रेम के कुवारी फौत होना तथा सन्ती

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 10:54:41 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, दौसा

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार राहुवास नाऔलाद फौत होना व तथा तहसीलदार रामगढ पचवारा की रिपोर्ट के अनुसार कमली उर्फ कमला के चिरंजीलाल पुत्र होना बताया गया है। चिरंजीलाल व उसकी पत्नि की मृत्यु हो चुकी है जिनके वारिसान सुभाष व टीना है जिनका नाम विधिवत सुनवाई के बाद दर्ज किया गया है। कमली उर्फ कमला के गोद जाने बाबत कोई रजिस्टर्ड दस्तावेज सुनवाई के दौरान पेश नहीं किया गया है ना ही ऐसा कोई साक्ष्य पेश किया गया है। नामान्तरण सं‌व 924 विधिवत रूप से प्रकरण को धारा 135(2) में दर्ज किया जाकर संबंधित पक्षकारों को सुना जाकर पूर्ण प्रकिया का पालना करते हुए पारित किया गया है। साथ ही नामान्तरण आदेश में कब्जे की जांच किये जाने का प्रावधान नहीं है।

7. हमने पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेख का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया।

8. अपलांट ने ग्राम बनियाना का नामान्तरण सं0 924 जो कि तहसीलदार लवाण के द्वारा दिनांक 7.12.2021 से व्यथित होकर यह नामान्तरण अपील पेश की गई है। तहसीलदार लवाण ने प्रकरण धारा 135 (2) में प्रकरण दर्ज किया जाकर पक्षकारान को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का मौका दिया जाकर निर्णय पारित किया गया है। अपीलांट का कथन है कि कमली उर्फ कमला को बचपन में ही उसके फूफा ने गोद ले लिया था लेकिन गोदनामे बाबत कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे उनकी बात को बल मिलता हो। पटवारी तहसीलदार लवाण द्वारा पारित निर्णय पूर्णतया विधि के प्रावधानों के तहत पारित किया गया है जिसमें हम कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते है।

9. उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। तहसीलदार लवाण द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश यथावत बहाल रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो ।

Web Copy - Not Official

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 13 फरवरी, 2025 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील सक्षम न्यायालय में 30 दिवस की अवधि में की जा सकेगी।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलक्टर, दौसा

न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 10:54:41 IST
Reason: SelfAttested